



# भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)



मौसम – खरीफ 2023

सुरक्षित कृषक, राष्ट्र का गौरव

## उद्देश्य :

1. प्राकृतिक आपदाओं से अधिसूचित क्षेत्र में बोई गयी अधिसूचित फसल को बीमा कवर प्रदान करना।
2. कृषि में उन्नत तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देना।
3. आपदा वर्षों में कृषि आय को स्थिर रखना।

## पात्र कृषक: अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी कृषक (ऋणी/गैर ऋणी)

(ऋणी कृषकों को बीमा में शामिल न होने के सम्बन्ध में अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित बैंकों को बीमा की अन्तिम तिथि से 7 दिन पूर्व देना अनिवार्य है। ऐसे कृषक बीमा में तभी शामिल हो सकते हैं जब वह अपना प्रार्थना पत्र पुनः बीमा में शामिल होने हेतु देंगे।)



अधिसूचित फसल	बीमित राशि	कृषक द्वारा देय प्रीमियम	बीमा कराने की अन्तिम तिथि
धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उड़द, तिल, अरहर, मूंगफली	प्रति हेक्टेयर संसूचित राशि	बीमित राशि का 2%	<b>31 जुलाई, 2023</b>

(जनपदवार/फसलवार बीमित राशि एवं देय प्रीमियम पीछे पृष्ठ पर अंकित है)

**बीमा कहाँ करायें/जानकारी हेतु**

सम्बन्धित बैंक शाखा

जन सेवा केन्द्र (CSC)

भारत सरकार के PMFBY Portal ([www.pmfby.gov.in](http://www.pmfby.gov.in))

क्रियान्वयक अभिकरण के अधिकृत बीमा मध्यस्थ/कार्यालय

**बीमा से आच्छादित जोखिम**

ग्रामपंचायत स्तर पर (क्षेत्र आधारित)	व्यक्तिगत आधार पर
<ul style="list-style-type: none"> <li>• असफल बुआई की स्थिति में।</li> <li>• फसल की अवधि में प्राकृतिक आपदा के नुकसान की स्थिति में।</li> <li>• फसल कटाई के आधार पर प्राप्त वास्तविक उपज में गारन्टीड/थोशोलड उपज की तुलना में कमी होने की स्थिति में।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• स्थानीय आपदा – खड़ी फसलों को ओलावृष्टि, जलभराव (फसल धान को छोड़कर), भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग के कारण क्षति की स्थिति।</li> <li>• फसल कटाई उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी गयी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात/ चक्रवाती वर्षा/बेमौसम बारिश से क्षति की स्थिति। (उपरोक्त आपदा स्थिति में कृषक द्वारा 72 घण्टे के अन्दर सूचना देना अनिवार्य है।)</li> </ul>

**बीमा कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज :** आधार कार्ड, बैंक खाता सम्बन्धी प्रपत्र, भूमि स्वामित्व सम्बन्धी प्रपत्र, बटाई प्रमाण पत्र, फसल बुआई का प्रमाण पत्र (स्वसत्यापित) एवं मोबाईल नम्बर

**फसल नुकसान के सम्बन्ध में सूचित करने हेतु**

टोल फ्री नं.:  
1800 2660 700/1800 889 6868

सम्बन्धित बैंक शाखा

कृषि/उद्यान विभाग कार्यालय

क्राफ इन्श्योरेन्स ऐप

कृषक बीमा सम्बन्धी अधिक जानकारी के लिए राज्य अधिसूचना, बीमा प्रपत्र, भारत सरकार के PMFBY Portal ([www.pmfby.gov.in](http://www.pmfby.gov.in)) कृषि/उद्यान विभाग, टोल फ्री नं. एवं क्रियान्वयक अभिकरण से सम्पर्क करें।



**फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ!**



**प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ 2023 के अन्तर्गत  
जिलावार/फसलवार बीमित राशि एवं कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि (रु./हे.)**

(खरीफ 2023 मौसम के अन्तर्गत एचडीएफसी एगो को अधिकृत जिलों के अधिसूचित फसलों में बीमा के लिए देय प्रीमियम दर बीमित राशि का 2%)

मौसम	जिला	फसल	बीमित राशि	कृषक प्रीमियम राशि
खरीफ 2023	आगरा	धान	80000	1600
		बाजरा	57000	1140
		अरहर	90900	1818
	मथुरा	धान	64200	1284
		बाजरा	51100	1022
		अरहर	85600	1712
	फिरोजाबाद	धान	82700	1654
		मक्का	58700	1174
		बाजरा	57500	1150
	मैनपुरी	तिल	14400	288
		धान	89100	1782
		मक्का	67400	1348
		बाजरा	64200	1284
	फर्रुखाबाद	मूंगफली	136600	2732
		धान	98000	1960
		मक्का	70200	1404
		बाजरा	49400	988
	कन्नौज	तिल	13300	266
		धान	98400	1968
		मक्का	67600	1352
		बाजरा	43700	874
	इटावा	तिल	27200	544
		धान	93600	1872
		मक्का	60500	1210
		बाजरा	60400	1208
	औरैया	अरहर	148800	2976
		धान	102000	2040
		मक्का	55900	1118
		बाजरा	61000	1220
		ज्वार	51400	1028
		उड़द	54100	1082
	कानपुर नगर	अरहर	96300	1926
		धान	96600	1932
		मक्का	56800	1136
		बाजरा	45800	916
		ज्वार	59700	1194
		उड़द	48700	974
		तिल	13000	260
	कानपुर देहात	अरहर	128800	2576
		धान	102400	2048
		मक्का	59700	1194
		बाजरा	60900	1218
ज्वार		43600	872	
उड़द		51900	1038	
तिल		14200	284	
	अरहर	141600	2832	

ई-मेल: [pmfby.up@hdfcergo.com](mailto:pmfby.up@hdfcergo.com)

वेबसाइट: <https://pmfby.gov.in/farmer>

**फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ!**

